न्यायालय भरण पोषण न्याधिकरण, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 05/2022 दायर दिनांकः 02.11.2022

उनवान

1. कालूलाल आयु 65 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति मेघवाल निवासी भौंरा तहसील अटरू जिला बारां हाल बाबा रामदेव वृद्धाश्रम गायत्रीनगर अटरू।

प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल आयु 32 वर्ष पुत्र कालूलाल जाति मेघवाल निवासी भौंरा पोस्ट रीछन्दा तहसील अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र बाबत भरण पोषण राशि दिलाये जाने</u>

निर्णय

दिनांक 25.08.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् भरण पोषण राशि दिलाये जाने इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी ग्राम भौंरा पोस्ट रीछन्दा तहसील अटरू जिला बारां राज0 का रहने वाला है जिसको प्रार्थी के परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताडित किया जा रहा है/घर से निष्कासित कर दिया है। जिससे प्रार्थी का जीवन—यापन करना मुश्किल हो गया हें इसलिए प्रार्थी को प्रतिमाह भरण पोषण राशि 5000/— दिलाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के स्वामित्व की ग्राम भौंरा तहसील अटरू में खाता संख्या—22 का कुल किता 3 का रकबा 1.98 है0 आराजी में हिस्सा 1/4 दर्ज खाता है जिसको जबरन अप्रार्थी ही कब्जा काश्त करता है जिसके अप्रार्थी कर 150000/—वार्षिक आय हो जाती है। नकल जमाबंदी साथ में संलग्न है। अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को तलब करए भरण पोषण राशि दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम में दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत Pw1 कालूलाल पुत्र धन्नालाल जाति मेघवाल के सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यप्रार्थी ने सशपथ बयान किये कि मेरे ग्राम भौंरा में 5–6 बीघा जमीन है। जमीन को मेरा पुत्र मांगीलाल काश्त करता हे। मैं अभी बाबा रामदेव वृद्धाश्रम अटरू में रहता हूॅ। मेरा लडका मुझे भरण पोषण की राशि नहीं देता है। उससे मुझे 5000/–रू मासिक भरण पोषण की राशि दिलवाई जावे, क्योंकि मेरे लडके मांगीलाल ने मुझे घर से निकाल रखा है।

तहसीलदार अटरू व विकास अधिकारी पंचायत समिति अटरू से अप्रार्थी की स्वअर्जित आय व आय के विभिन्न स्त्रोतो की जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/भू0अ0/2023/2018 दिनांक 17.04.2023 से रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी पटवार मण्डल किशनपुरा के ग्राम भौंरा में अप्रार्थी कालूलाल पुत्र धन्नालाल जाति मेघवाल के नाम खाता संख्या 22 में ख0नं0 287 रकबा 0.67 है0,ख0नं0 308 का रकबा 0.94 है0, ख0नं0 335 का रकबा 0.37 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.98 है0 भूमि में से हिस्सा 1/4 दर्ज खाता स्थित है। अर्थात अप्रार्थी के हिस्से में कुल 0.49 है0 भूमि खाता दर्ज है। विकास अधिकारी पंचायत समिति अटरू द्वारा पत्रांक/पंचा0/2023–24/315 दिनांक 21.07. 2023 से जांच रिपोर्ट पेश की गई। विकास अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार मांगीलाल के आबादी क्षेत्र में कोई जमीन नही है व कच्चा मकान है मांगीलाल मजदूरी करता है एवं आय का कोई स्त्रोत नही है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थी के खाते में ग्राम भौंरा में खाता संख्या 22 की किता 3 की कुल रकबा 1.98 है0 आराजी स्थित है जिसे प्रार्थी का पुत्र मांगीलाल काश्त करता है। प्रार्थी को उसके पुत्र/अप्रार्थी द्वारा घर से निकाल दिया है इसलिए प्रार्थी वर्तमान में बाबा रामदेव वृद्धाश्रम अटरू में रहता है। अतः प्रार्थी को 5000/–रू माह भरण पोषण की राशि दिलवाई जावे।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 22 ख0नं0 287 की 0.67 है0,ख0नं0 308 की 0.94 है0, ख0नं0 335 की 0.37 है0 आराजी प्रार्थी कालूलाल पुत्र धन्नालाल के शामलाती खाते में

दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है यानी प्रार्थी के खाते में 0.49 है0 आराजी स्थित है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी मांगीलाल पुत्र कालूलाल को आदेश दिये जाते है कि वह प्रार्थी को 1500/—रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि देना सुनिश्चित करें। थानाधिकारी अटरू को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को अप्रार्थी से 1500/—रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि दिलवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
भरण पोषण न्याधिकरण
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
अटरू जिला बारां